न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 867/2023
अनवान : –

1. जगरूप सिंह पुत्र गुरूदेव सिंह जाति जटसिख निवासी कोट समीर तहसील व जिला भटिण्डा पंजाब।
2. बलकरण सिंह पुत्र रणजीत सिंह उर्फ सुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी कोट समीर तहसील व जिला भटिण्डा पंजाब।
3. राजविन्द्र सिंह पुत्र रणजीत उर्फ सुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी कोट समीर तहसील व जिला भटिण्डा पंजाब।
4. रामसिंह पुत्र गुरूदेव सिंह जाति जटसिख निवासी कोट समीर तहसील व जिला भटिण्डा पंजाब।
5. सुखमन्दर सिंह पुत्र गुरूदेव सिंह जाति जटसिख निवासी कोट समीर तहसील व जिला भटिण्डा पंजाब।
6. अशोक कुमार कन्दोई पुत्र सुरजमल कन्दोई जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. खातुन बानो पत्नी जीवण खां जाति मुसलमान दमामी साकिन नोहर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. गिरदावरी पत्नी लादुराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. भागवन्ती पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. मंगलु पुत्र देवा जाति जाट साकिन सोनड़ी तहसील नोहर।
4. मेना देवी पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. सावित्री पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**
श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 02/04/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 444/433 के ख0न0 662 की कुल 12.760 हैक्ट भूमि संयुक्त खाता की खातेदारी भूमि है जिसमें वादी संख्या 6 का अशोक कुमार का एवं वादी संख्या 7 खातुन बानो का 69/580 हिस्सा अर्थात 1.518 हैक्ट भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 1 गिरदावरी का 695/5104 हिस्सा अर्थात 1.7375 हैक्ट भूमि वादी संख्या 1 जगरूपसिंह का 15729/127600 हिस्सा अर्थात 1.5729 हैक्ट भूमि वादी संख्या 2 बलकरण सिंह का 15729/255200 हिस्सा अर्थात 0.78645 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 2 भागवन्ती 23/580 हिस्सा अर्थात 0.506 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 3 मंगलु का 177/12760 हिस्सा अर्थात 0.177 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 4 मैना देवी का 23/580 हिस्सा अर्थात 0.506 हैक्ट भूमि वादी संख्या 3 राजविन्द्र सिंह का 15729/255200 हिस्सा अर्थात 0.78645 हैक्ट भूमि वादी संख्या 4 रामसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:02:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

का 983/7975 हिस्सा अर्थात 1.5728 हैक्ट भूमि वादी संख्या 5 सुखमन्दरसिंह का 15729/127600 हिस्सा अर्थात 1.5729 हैक्ट भूमि प्रतिवादीया संख्या 5 सावित्री का 23/580 हिस्सा अर्थात 0.506 हैक्ट भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के ख0न0 662 की 12.760 हैक्ट भूमि है जिसमें वादीगण संख्या 1 ता 5 की 6.2915 हैक्ट भूमि वादी संख्या संख्या 6 अशोक कुमार की 1.518 हैक्ट भूमि वादी संख्या 7 खातुन की 1.518 हैक्ट भूमि एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की 3.430 हैक्ट भूमि है जिसका वर्षो पूर्व पारिवारिक घरेलू तौर पर बंटवारा किया जाकर सभी काश्तकारान खातेदार अलग अलग भूमि काश्त करने लग गये थे तथा वर्तमान में भी अलग अलग सींव बनाकर अपने हक व हिस्सा की भूमि पर काबिज है तथा पारिवारिक एवं घरू बंटवारा निम्न प्रकार से किया गया है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में घोषणा करवाकर तकसीम करवाने के अधिकारी है–

1. रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के ख0न0 662 की पूर्वी पासा की 6.2915 हैक्ट भूमि वादीगण संख्या 1 ता 5 की संयुक्त खाता की खातेदारी भूमि है जिसमें राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार वादी संख्या 1 जगरूपसिंह की 1.5729 हैक्ट भूमि वादी संख्या 2 बलकरण सिंह का 0.78645 हैक्ट भूमि वादी संख्या 3 राजविन्द्र सिंह का 0.78645 हैक्ट भूमि वादी संख्या 4 रामसिंह का 1.5728 हैक्ट भूमि वादी संख्या 5 खुखमन्दर सिंह का 1.5729 हैक्ट भूमि एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का राजस्व रिकार्ड में 662/1 मिन नम्बर बनाया जाकर खाता तकसीम किया जावे।

2. रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के ख0न0 662 की कुल 12.760 हैक्ट भूमि में से वादीगण संख्या 1 ता 5 के चिपती हुई पश्चिमी पासा की 1.5180 हैक्ट भूमि वादी संख्या 6 अशोक कुमार की इसी अनुसार ख0न0 662/2 मिन नम्बर बनाया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

3. रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के ख0न0 662 की कुल 12.760 हैक्ट भूमि में से वादी संख्या 6 के चिपती हुई पश्चिमी पासा की 1.5180 हैक्ट भूमि वादीया संख्या 7 खातुन बानों की है इसी अनुसार ख0न0 662/3 मिन नम्बर बनाये जाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावे।

4. प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की कुल 3.4625 हैक्ट भूमि संयुक्त रूप से ख0न0 662 की खातुन की चिपती हुई अन्तिम पासा की खातेदारी है जिसमें प्रतिवादीया संख्या 1 का 1.7375 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 2 भागवन्ती का 0.506 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 3 मंगलु का 0.1770 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 4 मैना देवी का 0.506 हैक्ट भूमि तथा प्रतिवादीया संख्या 5 सावित्री का 0.506 हैक्ट भूमि का ख0न0 662/4 मिन नम्बर बनाया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:02:05 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण एवं प्रतिवादीगण के [illegible] पहले उक्तानुसार बंटवारा किया हुआ है तथा अलग अलग काश्त करते आ रहे है इसलिए उक्त बंटवारा के अनुसार घोषणा करवाकर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीगण खाता व लगान तकसीम करवा पाने के अधिकारी है तथा ख0न0 662 के मिन नम्बर बनाये जाकर नक्शा में निशान लगाकर अलग अलग खसरे बनाये जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि मुताबिक बाहमी बंटवार खाता व लगान तकसीम करवा ले तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर मुताबिक बाहमी बंटवारे के अनुसार खाता व लगान तकसीम करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 व 5 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा मय इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः प्रतिवादी संख्या 3 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि का काफी समय पूर्व हम पक्षकारान के मध्य बाहमी बंटवारा हो चुका है मुताबिक बाहमी बंटवारा के हम पक्षकारान उक्त वाद भूमि पर काबिज है एवं इसी अनुसार अपना खाता व लगान तकसीम करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 व 4, 5 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने बहस में निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तो हमे कोई ऐतराज नही है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने खाता व लगान तकसीम करवाने हेतु वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:02:05 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाष[illegible] की ब[illegible]न किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया ग[illegible]र रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत [illegible] संख्या 543/534 के खसरा न0 743/1 की कुल 2.2890 हैक्ट भूमि व खाता संख्या 544/5[illegible] के खसरा न0 737/2 की कुल 5.9940

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अन्य सहखातेदारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। संयुक्त खाते का कोई भी सहखातेदार काश्त की सुविधा को देखते हुए अपने रिकार्ड में धारित रकबे की हद तक अच्छी मंदी भूमि को ध्यान में रखते हुए खाता व लगान अलग करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है। अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा यथावत रखा जा रहा है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के ख0न0 662 की पूर्वी पासा की 6.2915 हैक्ट भूमि का 662/1 मिन नम्बर बनाया जाकर वादी संख्या 1 को 1.5729 हैक्ट भूमि, वादी संख्या 2 को 0.78645 हैक्ट भूमि का, वादी संख्या 3 को 0.78645 हैक्ट भूमि का, वादी संख्या 4 को 1.5728 हैक्ट भूमि का, वादी संख्या 5 को 1.5729 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के ख0न0 662 की कुल 12.760 हैक्ट भूमि में से वादीगण संख्या 1 ता 5 के चिपती हुई पश्चिमी पासा की 1.5180 हैक्ट भूमि का ख0न0 662/2 मिन नम्बर बनाया जाकर वादी संख्या 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के ख0न0 662 की कुल 12.760 हैक्ट भूमि में से वादी संख्या 6 के चिपती हुई पश्चिमी पासा की 1.5180 हैक्ट भूमि का ख0न0 662/3 मिन नम्बर बनाया जाकर वादीया संख्या 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की कुल 3.4325 हैक्ट भूमि संयुक्त रूप से ख0न0 662 की खातुन की चिपती हुई अन्तिम पासा की खातेदारी है जिसमें ख0न0 662/4 मिन नम्बर बनाया प्रतिवादीया संख्या 1 का 1.7375 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 2 भागवन्ती का 0.506 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 3 मंगलु का 0.1770 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 4 मैना देवी का 0.506 हैक्ट भूमि तथा प्रतिवादीया संख्या 5 सावित्री का 0.506 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्से पर यथावत रखते हुए किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार अमल दरामद कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 02/04/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:02:05 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 867 / 2023
अनवान : –

1. जगरूप सिंह पुत्र गुरूदेव सिंह जाति जटसिख निवासी कोट समीर तहसील व जिला भटिण्डा पंजाब।
2. बलकरण सिंह पुत्र रणजीत सिंह उर्फ सुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी कोट समीर तहसील व जिला भटिण्डा पंजाब।
3. राजविन्द्र सिंह पुत्र रणजीत उर्फ सुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी कोट समीर तहसील व जिला भटिण्डा पंजाब।
4. रामसिंह पुत्र गुरूदेव सिंह जाति जटसिख निवासी कोट समीर तहसील व जिला भटिण्डा पंजाब।
5. सुखमन्दर सिंह पुत्र गुरूदेव सिंह जाति जटसिख निवासी कोट समीर तहसील व जिला भटिण्डा पंजाब।
6. अशोक कुमार कन्दोई पुत्र सुरजमल कन्दोई जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. खातुन बानो पत्नी जीवण खां जाति मुसलमान दमामी साकिन नोहर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. गिरदावरी पत्नी लादुराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. भागवन्ती पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. मंगलु पुत्र देवा जाति जाट साकिन सोनड़ी तहसील नोहर।
4. मेना देवी पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. सावित्री पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 867 सन 2023 निर्णय दिनांक – 02/04/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रामकुमार बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादी श्री महेशचन्द्र शर्मा की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के ख0न0 662 की पूर्वी पासा की 6.2915 हैक्ट भूमि का 662/1 मिन नम्बर बनाया जाकर वादी संख्या 1 को 1.5729 हैक्ट भूमि, वादी संख्या 2 को 0.78645 हैक्ट भूमि का, वादी संख्या 3 को 0.78645 हैक्ट भूमि का, वादी संख्या 4 को 1.5728 हैक्ट भूमि का, वादी संख्या 5 को 1.5729 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के ख0न0 662 की कुल 12. 760 हैक्ट भूमि में से वादीगण संख्या 1 ता 5 के चिपती हुई पश्चिमी पासा की 1.5180 हैक्ट भूमि का ख0न0 662/2 मिन नम्बर बनाया जाकर वादी संख्या 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के ख0न0 662 की कुल 12.760 हैक्ट भूमि में से वादी संख्या 6 के चिपती हुई पश्चिमी पासा की 1.5180 हैक्ट भूमि का ख0न0 662/3 मिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:02:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नम्बर बनाया जाकर वादीया संख्या 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की कुल 3.4325 हैक्ट भूमि संयुक्त रूप से ख0न0 662 की खातुन की चिपती हुई अन्तिम पासा की खातेदारी है जिसमें ख0न0 662/4 मिन नम्बर बनाया प्रतिवादीया संख्या 1 का 1.7375 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 2 भागवन्ती का 0.506 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 3 मंगलु का 0.1770 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 4 मैना देवी का 0.506 हैक्ट भूमि तथा प्रतिवादीया संख्या 5 सावित्री का 0.506 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्से पर यथावत रखते हुए किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार अमल दरामद कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/04/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:02:05 IST
Reason: SelfAttested